प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1149 सन 2021

अनवान :–

1. प्रतापसिह पुत्र केसरा जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3. अमरसिह पुत्र केसरा जाति राजपुत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. रामी पत्नी सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. भंवरसिह पुत्र सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. सजन कवर पुत्री सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. दुर्गा कवर पुत्री सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 589 की कुल 14.0290हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

केसरा के नाम कुल 92 बीधा भूमि थी जिसमें से 50 बीधा भूमि सुखमन्दरसिह को 250 हिस्सा , करतारकोर को 250 हिस्सा बलदेवसिह को 250 हिस्सा दिलबागसिह को 250 हिस्सा 1000 हिस्सा अर्थात 50 बीधा भूमि का विक्रय किया गया था तत्पश्चात उक्त भूमि में जलप्रदाय योजना की नहर का निर्माण हुआ व भूमि अवाप्त की गई और काश्तकारो ने अपने अपने हक हिस्साा का मुआवजा भी प्राप्त कर लिया अवाप्त नहर का नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से कब्जा काश्त के अनुसार तो नामान्तकरण दर्ज कर दिया जिससे जमाबन्दी में हिस्से सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिये गये जिससे जमाबन्दी का खाता अपवादित हो गया।

सुखविन्दसिह आदि ने अपनी जो गलत तौर से 50 बीधा दर्ज थी नहर की भूमि कम नही की गई थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को बेचान कर दिया 50 बीधा भूमि का बेचान होने से 1.379हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम गलत तौर से दर्ज हो गई और नामान्तकराण करते समय प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का हिस्सा कलमजन कर दिया

वर्तमान में सरुजनसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है

वाद भूमि का अपवादित खाता को सही करने के लिये वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य परिवारिक समझौता किया गया की नहर निकलने के बाद जिसके कब्जा काश्त में भूमि है उतनी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेवे जिसके नाम बिना अधिकारी जमाबन्दी में दर्ज है उनके नाम को कलमजन करवा लेवे तो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मध्य परिवारिक समझौता हुआ जो वाद की मद संख्या 7 के अनुसार हुआ जिस पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 सहमत हुए है वादी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के आपसी सहमति से हुए परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव सरजन के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं अमरसिह, सुरजनसिह के नाम से दर्ज है सुरजनसिह को देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है वाद भूमि पूर्व में केसरा के नाम से दर्ज थी जिनके बेचान करने के बाद वाद भूमि में से नहर निकल गई नहर निकलने के बाद अवाप्ति भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से जमाबन्दी में हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज कर दी जिसके सम्बध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने आपसी सहमति से समझौता किया जाकर जमाबन्दी में हिस्सा कस्सी सही करने एव जिसका नाम जमाबन्दी में गलत तौर से दर्ज है को कलमजन करवाने का सहमति हुई है इसलिये जमाबन्दी में गलत तौर से दर्ज हिस्सा कस्सी को वाद की मद संख्या के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना हे वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्याा 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वाद की मद संख्या 7 के अनुसार दर्ज की जती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 एव सुरजनसिह के नाम से दर्ज है सुरजनसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है इसप्रकार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव सुरजनसिह के नाम से दर्ज है पूर्व में वाद भूमि में बेचान होने एव नहर में भूमि अवाप्ति होने के कारण जमाबन्दी मे हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज होने के कारण खाता अपवादित हो गया जिसे सही करवाने के लिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मध्य परिवारिक समझौता हुआ जो वाद की मद संख्या 7 के अनुसार दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि परिवारिक समझौता वाद की मद संख्या 7 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी को रोही मौजा बिरकाली के प.न. 117/50 मु.न. 484 के किला नं. 24 –25 की 0.5060 हैक्टर प.न. 117/59 के मु.न. 523 के किला नं. 4–5, 6 की 0.7590 हैक्टर प.न. 137/2 मु.न. 483 के किला नं. 21–22 की 0.5060 हैक्टर प.न. 137/3 के मु.न. 524 के किला नं. 1, 2, 9,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

10 की 1.0120 हैक्टर प.न. 137/4 के मु.न. 562 के किला नं. 20/1 की 0.0630 हैक्टर भूमि कुल तादादी 2.846 हैक्टर भूमि रहेगी।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 रोही मौजा बिरकाली बारानी के प..न. 117/50 मु.न. 485 के किला नं. 6,15,16, 25 की 1.2650 हैक्टर भूमि, प.न. 117/51 मु.न. 522 के किला नं. 4/2 की 0.0570 हैक्टर भूमि 4/3 की 0.0570 हैक्टर, 5/2 की 0.2280 हैक्टर किला नं. 6/2 की 0.0700 हैक्टर किला नं. 6/3 की 0.0440 हैक्टर भूमि किला नं. 7/1 की 0.1770 हैक्टर कुल तादादी 0.6330 हैक्टर भूमि प.न. 117/52 मु.न. 564 के किला नं. 5 व 6 की 0.5060 हैक्टर प.न. 117/58 के किला नं. 484 के किला नं. 1/2 की 0.2270 हैक्टर 8-9 की 0.5060 हैक्टर किला नं. 10/2 की 0.2280 हैक्टर किला नं. 11/2 की 0.2280 हैक्टर व किला नं. 12, 13, 18, 19 की 1.0120 हैक्टर भूमि किला नं. 20/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि किला न : 21/1 की 0.228 हैक्टर भूमि किला नं. 22 व 23 की 0. 5060 हैक्टर, प.न. 117/59 के किला नं. 523 के किला नं. 1/2 की 0.227 हैक्टर, 2-3, 8, 9 की 1.0120 हैक्टर , किला नं. 10/2 की 0.215 हैक्टर, 11/1 की 0. 1010 हैक्टर, , 12/2 की 0.240 हैक्टर, 13-17 की 0.506 हैक्टर, 18/1 की 0.240 हैक्टर, 19/2 की 0.063 हैक्टर, 19/3 की 0.0130 हैक्टर, 20/1 की 0.1140 हैक्टर, 21/2 की 0.228 हैक्टर, 22/2 की 0.114 हैक्टर 23/1 की 0.1270 हैक्टर भूमि 24 की 0.2530 हैक्टर कुल तादादी 3.453 हैक्टर भूमि, प.न. 117/60 मु.न. 563 के किला नं. 1/2 की 0.228 हैक्टर, 2 की 0.2530 हैक्टर, 3/1 की 0.1270 हैक्टर, 4/1 की 0.1520 हैक्टर, 6/2 की 0.063 हैक्टर, 7/1 की 0.1130 हैक्टर, 7/3 की 0.0130 हैक्टर, 8/1 की 0.240 हैक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर 10/2 की 0.2270 हैक्टर, 14/2 की 0.2280 हैक्टर, 15/3 की 0.0510 हैक्टर, 16/1 की 0.2150 हैक्टर, कुल 2.1630 हैक्टर भूमि कुल तादादी 11. 183 हैक्टर जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 7.590 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी सं. 2 का 3.593 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है अविवि (वास्तविक हिस्सा) व प्रतिवादी संख्या 3 व सुररजनसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... दलपतपुरा.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. प्रतापसिह पुत्र केसरा जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3. अमरसिह पुत्र केसरा जाति राजपुत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. रामी पत्नी सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. भंवरसिह पुत्र सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. सजन कवर पुत्री सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. दुर्गा कवर पुत्री सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1149 सन 2021 निर्णय दिनांक– 04.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी को रोही मौजा बिरकाली के प.न. 117/50 मु.न. 484 के किला नं. 24 –25 की 0.5060 हैक्टर प.न. 117/59 के मु.न. 523 के किला नं. 4–5, 6 की 0.7590 हैक्टर प.न. 137/2 मु.न. 483 के किला नं. 21–22 की 0.5060 हैक्टर प.न. 137/3 के मु.न. 524 के किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.0120 हैक्टर प.न. 137/4 के मु.न. 562 के किला नं. 20/1 की 0.0630 हैक्टर भूमि कुल तादादी 2.846 हैक्टर भूमि रहेगी। प्रतिवादी सं. 1 व 2 रोही मौजा बिरकाली बारानी के प..न. 117/50 मु. न. 485 के किला नं. 6,15,16, 25 की 1.2650 हैक्टर भूमि, प.न. 117/51 मु.न. 522 के किला नं. 4/2 की 0.0570 हैक्टर भूमि 4/3 की 0.0570 हैक्टर, 5/2 की 0.2280 हैक्टर किला नं. 6/2 की 0.0700 हैक्टर किला नं. 6/3 की 0.0440 हैक्टर भूमि किला नं. 7/1 की 0.1770 हैक्टर कुल तादादी 0.6330 हैक्टर भूमि प.न. 117/52 मु.न. 564 के किला नं. 5 व 6 की 0.5060 हैक्टर प.न. 117/58 के किला नं. 484 के किला नं. 1/2 की 0.2270 हैक्टर 8–9 की 0.5060 हैक्टर किला नं. 10/2 की 0.2280 हैक्टर किला नं. 11/2 की 0.2280 हैक्टर व किला नं. 12, 13, 18, 19 की 1.0120 हैक्टर भूमि किला नं. 20/2 की 0. 2280 हैक्टर भूमि किला न . 21/1 की 0.228 हैक्टर भूमि किला नं. 22 व 23 की 0.5060 हैक्टर, प.न. 117/59 के किला नं. 523 के किला नं. 1/2 की 0.227 हैक्टर, 2–3, 8, 9 की 1.0120 हैक्टर , किला नं. 10/2 की 0.215 हैक्टर, 11/1 की 0. 1010 हैक्टर, , 12/2 की 0.240 हैक्टर, 13–17 की 0.506 हैक्टर, 18/1 की 0.240 हैक्टर, 19/2 की 0.063 हैक्टर, 19/3 की 0.0130 हैक्टर, 20/1 की 0.1140 हैक्टर, 21/2 की 0.228 हैक्टर, 22/2 की 0.114 हैक्टर 23/1 की 0.1270 हैक्टर भूमि 24 की 0.2530 हैक्टर कुल तादादी 3.453 हैक्टर भूमि, प.न. 117/60 मु.न. 563 के किला नं. 1/2 की 0.228 हैक्टर, 2 की 0.2530 हैक्टर, 3/1 की 0.1270 हैक्टर, 4/1 की 0.1520 हैक्टर, 6/2 की 0.063 हैक्टर, 7/1 की 0. 1130 हैक्टर, 7/3 की 0.0130 हैक्टर, 8/1 की 0.240 हैक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर 10/2 की 0.2270 हैक्टर, 14/2 की 0.2280 हैक्टर, 15/3 की 0.0510 हैक्टर, 16/1 की 0.2150 हैक्टर, कुल 2.1630 हैक्टर भूमि कुल तादादी 11.183 हैक्टर जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 7.590 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी सं. 2 का 3.593 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है अविवि (वास्तविक हिस्सा) व प्रतिवादी संख्या 3 व सुररजनसिह का नाम कलमजन किया जाता हइसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट..दलपतपुरा..